भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. 135***
वाणिज्य विभाग

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) व्यापार समझौते के अंतर्गत निवेश प्रतिबद्धताएं

***135. श्री बलभद्र माझी:**
श्री गोडम नागेश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) द्वारा भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विनिर्माण के लिए प्रतिबद्ध निवेश की राशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस समझौते के अंतर्गत विशेषकर 'मेक इन इंडिया' के अनुरूप क्षेत्रों और उन्नत विनिर्माण उद्देश्यों में प्रस्तावित निवेश की अनुमानित मात्रा कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने ईएफटीए से जुड़े निवेशों के अंतर्वाह को सरल बनाने के लिए कोई सुविधा तंत्र शुरू किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) कृषि क्षेत्र पर भारत-ईएफटीए के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या इस समझौते से यूरोप को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि से जुड़े उद्योगों को लाभ होगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या इस समझौते से बागवानी क्षेत्र, विशेषकर चिक्कबल्लापुर के नीले अंगूर, कर्नाटक के आमों और अन्य क्षेत्रों को लाभ होगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

"भारत-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) व्यापार समझौते के अंतर्गत निवेश प्रतिबद्धताएं" के संबंध में दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 135* के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) दिनांक 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) एक आधुनिक और दूरदर्शी समझौता है। मुक्त व्यापार समझौतों के इतिहास में पहली बार स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन और आइसलैंड से अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर के निवेश या वर्तमान विनिमय दर पर आठ लाख पैंसठ हजार करोड़ रूपये और 01 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों की बाध्यकारी प्रतिबद्धता सुरक्षित की गई हैं।

निवेश संवर्धन एवं सहयोग संबंधी टीईपीए के अध्याय 07 के अंतर्गत, ईएफटीए राज्य समझौते के लागू होने की तारीख से 10 वर्षों के भीतर अपने निवेशकों से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे और आगामी 05 वर्षों में अतिरिक्त 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो 15 वर्षों में कुल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। इसके साथ ही, ईएफटीए राज्यों का लक्ष्य इन निवेश प्रवाहों के परिणामस्वरूप भारत में 01 मिलियन प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन को सुगम बनाना होगा। इस निवेश प्रतिबद्धता में स्पष्ट रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को शामिल नहीं किया गया है तथा इसका फोकस उत्पादक क्षमता निर्माण और रोज़गार सृजन के लिए दीर्घकालिक पूंजी पर है।

टीईपीए से 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलने की प्रत्याशा है। यह निवेश अवसंरचना और कनेक्टिविटी, विनिर्माण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और रसद, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, बीमा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवाहित होने की प्रत्याशा है, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और अग्रणी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। ये हमारे महत्वाकांक्षी युवाओं के कौशल को बेहतर बनाने और लाखों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करेंगे।

(ग) सरकार ने ईएफटीए से जुड़े निवेशों के अंतर्वाह को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मजबूत सुविधा तंत्र स्थापित किया है।

फरवरी 2025 में एक समर्पित भारत-ईएफटीए डेस्क शुरू किया गया है जो भारत में निवेश करने, विस्तार करने या परिचालन स्थापित करने के इच्छुक ईएफटीए व्यवसायों के लिए एक एकल-खिड़की प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगा। यह डेस्क बाज़ार की जानकारी, विनियामक संबंध मार्गदर्शन, व्यावसायिक मेलमिलाप और भारत के नीतिगत परिदृश्य को समझने में सहायता सहित सहयोग प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित होती है।

इसके अलावा, टीईपीए अध्याय 07 के तहत निवेश संवर्धन और सहयोग पर स्वयं एक उप-समिति स्थापित करता है। इस संस्थागत निकाय, जिसमें पक्षकारों के सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं, को निवेश संवर्धन अध्याय के कार्यान्वयन की देखरेख, समीक्षा और निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है, जिसमें निवेश और रोजगार सृजन संबंधी साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति भी शामिल है।

(घ) और (ड.) सरकार ने भारतीय कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए टीईपीए पर नेगोशिएट किया। इस नेगोशिएशन्स का एक प्रमुख परिणाम यह है कि संवेदनशील कृषि उत्पादों को भारत की बहिष्करण सूची में रखा गया है। डेयरी, सोया और अन्य संवेदनशील कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्र भारत द्वारा दी जाने वाली टैरिफ रियायत संबंधी प्रस्तुत का हिस्सा नहीं हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि इन क्षेत्रों में आयात प्रतिस्पर्धा से हमारे किसानों की आजीविका सुरक्षित रहे। इस समझौते से कृषि से जुड़े उद्योगों को लाभ होने और उनके निर्यात को बढ़ावा मिलने की प्रत्याशा है। विशेष रूप से, ईएफटीए बाजार पहुँच प्रस्ताव में विभिन्न प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (पीएपी) पर टैरिफ रियायतें शामिल हैं। इससे भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नए निर्यात अवसर पैदा होंगे।

(च) सरकार ने ईएफटीए बाज़ारों में भारतीय बागवानी उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त पहुँच सुनिश्चित की है। उदाहरण के लिए, इस समझौते के तहत, स्विट्जरलैंड आम, अमरूद और खट्टे फलों सहित विभिन्न बुनियादी कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क समाप्त कर देगा। रियायतों की विस्तृत अनुसूचियां, जो टीईपीए पाठ का हिस्सा हैं, विशिष्ट टैरिफ लाइनों को रेखांकित करती हैं जिनके लिए लाभ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के भारतीय बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए एक सकारात्मक फ्रेमवर्क तैयार होता है। इसके अलावा, टीईपीए स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपायों संबंधी अध्याय 04 के माध्यम से गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करके बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मजबूत संस्थागत तंत्र स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य मानव, पशु और पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। दोनों पक्षकारों ने आवश्यक नीतिगत गुंजाइश बनाए रखते हुए, विश्व व्यापार संगठन के एसपीएस समझौते के तहत अधिकारों और दायित्वों की पुनः पुष्टि की है। कर्नाटक और अन्य राज्यों से ईएफटीए देशों को चिक्कबल्लापुर नीले अंगूरों और आमों के निर्यात पर कोई तकनीकी प्रतिबंध नहीं है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. 135***
वाणिज्य विभाग

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) व्यापार समझौते के अंतर्गत निवेश प्रतिबद्धताएं

***135. श्री बलभद्र माझी:**
श्री गोडम नागेश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) द्वारा भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विनिर्माण के लिए प्रतिबद्ध निवेश की राशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस समझौते के अंतर्गत विशेषकर 'मेक इन इंडिया' के अनुरूप क्षेत्रों और उन्नत विनिर्माण उद्देश्यों में प्रस्तावित निवेश की अनुमानित मात्रा कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने ईएफटीए से जुड़े निवेशों के अंतर्वाह को सरल बनाने के लिए कोई सुविधा तंत्र शुरू किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) कृषि क्षेत्र पर भारत-ईएफटीए के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या इस समझौते से यूरोप को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि से जुड़े उद्योगों को लाभ होगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या इस समझौते से बागवानी क्षेत्र, विशेषकर चिक्कबल्लापुर के नीले अंगूर, कर्नाटक के आमों और अन्य क्षेत्रों को लाभ होगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

"भारत-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) व्यापार समझौते के अंतर्गत निवेश प्रतिबद्धताएं" के संबंध में दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 135* के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) दिनांक 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) एक आधुनिक और दूरदर्शी समझौता है। मुक्त व्यापार समझौतों के इतिहास में पहली बार स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन और आइसलैंड से अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर के निवेश या वर्तमान विनिमय दर पर आठ लाख पैंसठ हजार करोड़ रूपये और 01 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों की बाध्यकारी प्रतिबद्धता सुरक्षित की गई हैं।

निवेश संवर्धन एवं सहयोग संबंधी टीईपीए के अध्याय 07 के अंतर्गत, ईएफटीए राज्य समझौते के लागू होने की तारीख से 10 वर्षों के भीतर अपने निवेशकों से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे और आगामी 05 वर्षों में अतिरिक्त 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो 15 वर्षों में कुल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। इसके साथ ही, ईएफटीए राज्यों का लक्ष्य इन निवेश प्रवाहों के परिणामस्वरूप भारत में 01 मिलियन प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन को सुगम बनाना होगा। इस निवेश प्रतिबद्धता में स्पष्ट रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को शामिल नहीं किया गया है तथा इसका फोकस उत्पादक क्षमता निर्माण और रोज़गार सृजन के लिए दीर्घकालिक पूंजी पर है।

टीईपीए से 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलने की प्रत्याशा है। यह निवेश अवसंरचना और कनेक्टिविटी, विनिर्माण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और रसद, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, बीमा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवाहित होने की प्रत्याशा है, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और अग्रणी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। ये हमारे महत्वाकांक्षी युवाओं के कौशल को बेहतर बनाने और लाखों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करेंगे।

(ग) सरकार ने ईएफटीए से जुड़े निवेशों के अंतर्वाह को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मजबूत सुविधा तंत्र स्थापित किया है।

फरवरी 2025 में एक समर्पित भारत-ईएफटीए डेस्क शुरू किया गया है जो भारत में निवेश करने, विस्तार करने या परिचालन स्थापित करने के इच्छुक ईएफटीए व्यवसायों के लिए एक एकल-खिड़की प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगा। यह डेस्क बाज़ार की जानकारी, विनियामक संबंध मार्गदर्शन, व्यावसायिक मेलमिलाप और भारत के नीतिगत परिदृश्य को समझने में सहायता सहित सहयोग प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित होती है।

इसके अलावा, टीईपीए अध्याय 07 के तहत निवेश संवर्धन और सहयोग पर स्वयं एक उप-समिति स्थापित करता है। इस संस्थागत निकाय, जिसमें पक्षकारों के सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं, को निवेश संवर्धन अध्याय के कार्यान्वयन की देखरेख, समीक्षा और निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है, जिसमें निवेश और रोजगार सृजन संबंधी साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति भी शामिल है।

(घ) और (ड.) सरकार ने भारतीय कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए टीईपीए पर नेगोशिएट किया। इस नेगोशिएशन्स का एक प्रमुख परिणाम यह है कि संवेदनशील कृषि उत्पादों को भारत की बहिष्करण सूची में रखा गया है। डेयरी, सोया और अन्य संवेदनशील कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्र भारत द्वारा दी जाने वाली टैरिफ रियायत संबंधी प्रस्तुत का हिस्सा नहीं हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि इन क्षेत्रों में आयात प्रतिस्पर्धा से हमारे किसानों की आजीविका सुरक्षित रहे। इस समझौते से कृषि से जुड़े उद्योगों को लाभ होने और उनके निर्यात को बढ़ावा मिलने की प्रत्याशा है। विशेष रूप से, ईएफटीए बाजार पहुँच प्रस्ताव में विभिन्न प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (पीएपी) पर टैरिफ रियायतें शामिल हैं। इससे भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नए निर्यात अवसर पैदा होंगे।

(च) सरकार ने ईएफटीए बाज़ारों में भारतीय बागवानी उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त पहुँच सुनिश्चित की है। उदाहरण के लिए, इस समझौते के तहत, स्विट्जरलैंड आम, अमरूद और खट्टे फलों सहित विभिन्न बुनियादी कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क समाप्त कर देगा। रियायतों की विस्तृत अनुसूचियां, जो टीईपीए पाठ का हिस्सा हैं, विशिष्ट टैरिफ लाइनों को रेखांकित करती हैं जिनके लिए लाभ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के भारतीय बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए एक सकारात्मक फ्रेमवर्क तैयार होता है। इसके अलावा, टीईपीए स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपायों संबंधी अध्याय 04 के माध्यम से गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करके बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मजबूत संस्थागत तंत्र स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य मानव, पशु और पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। दोनों पक्षकारों ने आवश्यक नीतिगत गुंजाइश बनाए रखते हुए, विश्व व्यापार संगठन के एसपीएस समझौते के तहत अधिकारों और दायित्वों की पुनः पुष्टि की है। कर्नाटक और अन्य राज्यों से ईएफटीए देशों को चिक्कबल्लापुर नीले अंगूरों और आमों के निर्यात पर कोई तकनीकी प्रतिबंध नहीं है।

****